

अधिसूचना

विषय:- राज्य में कौशल प्रशिक्षण हेतु समरूप प्रक्रियात्मक एवं दर मानक के निर्धारण के संबंध में ।

राज्य में चल रहे एवं भविष्य में संचालित होने वाले सभी प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम में एकरूपता के लिए बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा कौशल संवर्द्धन के विभिन्न प्रक्रियाओं एवं विभिन्न दरों का मानक निर्धारित किये जाने हेतु Process एवं Cost norms तैयार किया गया तथा इसे अधिसूचना संख्या-बी०एस०डी०एम०/कार्य समीक्षा/14/2016-339 दिनांक-23.08.2016 के द्वारा अधिसूचित करते हुए अनुसूची-1 के रूप में संलग्न कर कौशल संवर्द्धन से संबद्ध सभी विभागों के बीच परिचारित किया गया ।

2.समय-समय पर बिहार कौशल विकास मिशन के कार्यकारिणी समिति एवं शासी पर्षद के अनुमोदन के पश्चात अधिसूचना संख्या-339 दिनांक-23.08.2016 के साथ अनुसूची-1 के रूप में संलग्न Process एवं Cost norms के Cost norms की कंडिका-3, कंडिका-4.1, कंडिका-6 तथा Process एवं Cost norms के Cost norms की कंडिका-1 को अधिसूचना संख्या-BSDM/ कार्य समीक्षा-14/2016-143 दिनांक-23.02.2017 तथा BSDM/ कार्य समीक्षा-14/2016-463 दिनांक-30.06.2017 के द्वारा संशोधित करते हुए इस संशोधित अधिसूचना को कौशल संवर्द्धन से संबद्ध विभागों के बीच परिचारित किया गया ।

3.राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सभी ANM/GNM/ITI/Polytechnic/Para Medical Institute तथा अभियंत्रण महाविद्यालय के अध्ययनरत छात्रों को प्रत्येक दिन उनकी सुविधा के अनुसार 2(दो) घंटे का कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है । राज्य सरकार के निर्णय तथा दिनांक-11.10.2017 को बिहार कौशल विकास मिशन की कार्यकारिणी समिति तथा दिनांक-02.11.2017 को बिहार कौशल विकास मिशन के शासी पर्षद की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में कुशल युवा कार्यक्रम के प्रत्येक दिन 2(दो) घंटे संचालित होने वाले बैच हेतु बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा परिचारित Process एवं Cost norms के Process norms की कंडिका-16 को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

Release of Funds: For Domain specific skilling

- **30% of the training fee-** On completion of 1/3rd of the duration of the course or 1 month whichever is later for all the candidates with attendance equal to at least 80% against the covered duration of the course(in hours).
- **50% of the training fee-** On passing the final assessment by the BSDM authorized assessment & certification agency- for the passed candidates only, post adjustment of the 30% (paid earlier)for candidates who did not pass the assessment.

- **10% of the training fee-** For all the certified candidates after a minimum of 50% of the batch has been placed.
- **10% of the training fee-** This amount will be paid post the 12 month tracking completion and compliance.

For Kushal Yuva Programme

For batches running for 4 hours per day

- **30% of the training fee-** On completion of 1/3rd of the duration of the course or 1 month whichever is later, for all the candidates with attendance equal to 1/3rd of the duration of the course.
- **30% of the training fee-** On completion of 2/3rd of the duration of the course or 2 months whichever is later, for all the candidates with attendance equal to 2/3rd of the duration of the course.
- **40% of the training fee-** Post final assessment and certification for all the passed and certified candidates.

For batches running for 2 hours per day

- **30% of the training fee-** On completion of 1/3rd of the duration of the course or 2 months whichever is later, for all the candidates with attendance equal to 1/3rd of the duration of the course.
- **30% of the training fee-** On completion of 2/3rd of the duration of the course or 4 months whichever is later, for all the candidates with attendance equal to 2/3rd of the duration of the course.
- **40% of the training fee-** Post final assessment and certification for all the passed and certified candidates.

For R-T-D model Projects

30% of the training fee as advance- Against a 110% BG at batch commencement for the entire batch size.

If advance is not taken

- **30% of the training fee-** On completion of 1/3rd of the duration of the course or 1 month whichever is later for all the candidates with attendance equal to at least 80% against the covered duration of the course(in hours).

- **40% of the training fee-** On passing the final assessment by the BSDM authorized assessment & certification agency- for the passed candidates only post adjustment of the 30% (Paid earlier either as advance or post completion of 1/3rd of the training duration) for candidates who did not pass the assessment.
- **10% of the training fee-** For all the certified candidates after a minimum of 80% of the batch has been placed.
- **20% of the training fee-** For all the certified candidates this amount will be paid post the 12 month tracking completion and compliance.

For Recognition of Prior Learning

Pre-assessment cost to be given to assessment agency & training partner (for utilization of assessment infrastructure)- at a rate decided by BSDM.

For Bridge training

- **40% of the training fee-** On completion of 1/3rd of the duration of the course or 15 days (Or as decided by BSDM) whichever is later for all the candidates with attendance equal to at least 80% against the covered duration of the course (in hours).
- **60% of the training fee-** Post bridge training & certification- for the candidates certified post the bridge training.

Note:

All the invoices of instalments shall be raised through the system and the payment has to be made within 30 days of the raising of invoice. In case, the payment is not made within 30 days of raising the invoice and no further information is required from the SDC, the disbursing department/organization shall be liable to pay simple interest on the due payment at a rate of 0.5% per month till the time actual payment is made.

4. राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को कुशल युवा का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र पर पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। वे सीधे कुशल युवा प्रशिक्षण केन्द्र पर नामांकन करा सकते हैं। इनके कुशल युवा के प्रशिक्षण हेतु कोई उपरी उम्र सीमा का प्रतिबंध नहीं होगा तथा वे अपने सुविधानुसार स्वेच्छा से 2(दो) घंटे या 4(चार) घंटे के प्रशिक्षण कार्यक्रम का चयन कर सकते हैं।

5. Process एवं Cost norms के Process norms की कंडिका-16 में किया गया यह संशोधन कुशल युवा कार्यक्रम के 2(दो) घंटे का प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा ।


6. अधिसूचना संख्या- BSDM/ कार्य समीक्षा/ 14/2016-339 दिनांक-23.08.2016 के द्वारा निर्गत अधिसूचना की अनुसूची-1 तथा समय-समय बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा संशोधित कंडिकाओं हेतु निर्गत अधिसूचनाओं की अन्य शर्तें यथावत रहेगी ।

7. यह अधिसूचना बिहार कौशल विकास मिशन के कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक-11.10.2017 तथा शासी पंषद की बैठक दिनांक-02.11.2017 में लिये गये निर्णय के आलोक में निर्गत किया जाता है ।



(दीपक कुमार सिंह)

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन ।


ज्ञापांक-बी0एस0डी0एम0/कार्य समीक्षा/14/2016-944 पटना, दिनांक- 22/11/17
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/ प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/ प्रधान सचिव, कृषि विभाग/ प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/ प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ प्रधान सचिव, उद्योग विभाग/ सचिव, पर्यटन विभाग/ सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/ सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/ सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग/ महानिरीक्षक, कारा सेवार्य/ सचिव, अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण विभाग/ निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक-बी0एस0डी0एम0/कार्य समीक्षा/14/2016-944 पटना, दिनांक- 22/11/17
प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक-बी0एस0डी0एम0/कार्य समीक्षा/14/2016-944 पटना, दिनांक- 22/11/17
प्रतिलिपि-मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । " " "


प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन